न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कक्ष संख्या 01, गाजीपुर।

सत्र परीक्षण वाद संख्या– 04 / 2014.

राज्य बनाम कौशलेश पाण्डेय आदि**.**

साक्षी क्रम संख्या 07 **दि. 09.12.2019**

मैं, विजय प्रताप यादव पुत्र श्री जयराम यादव**, उम्र लगभग 34 वर्ष, वर्तमान तैनाती थाना** बड़ा गाँव**, वाराणसी बतौर कांस्टेबल, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि-**

मैं, साक्षी दिनांक 13.11.2012, समय लगभग 12.15 PM श्रीमति बसन्ती प्रजापति पत्नी श्री सिरपत प्रजापति, निवासी ग्राम चौबेपुर, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर के लिखित तहरीर के आधार पर एनसीआर नं. 263/2012 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, बनाम कौशलेश पाण्डेय, जवाहर पाण्डेय, धुषधारी पाण्डेय व पुल्लू पाण्डेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उस दिन मैं, थाना मरदह में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस एनसीआर की छाया प्रति शामिल पत्रावली कागज संख्या 4-अ है। मैं, कागज सं. 4-अ के विवरण को अपने लेख की छाया प्रति होना व उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-8 अंकित किया गया है। उपरोक्त एनसीआर की कायमी मूल जीडी में रपट नं. 19, समय लगभग 12.15, दिनांक 13.11.2012 को अपने लेख में अंकित किया। मूल जीडी की छायाप्रति शामिल पत्रावली कागज सं. 14-अ/2 है। मैं, मूल जीडी को अपने लेख में होना व कागज सं. 14-अ/2 को मूल जीडी में छायाप्रति होना व इसके विवरण व अपने लेख को तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-9 अंकति किया गया है।

उप निरीक्षक महादेव सिंह मेरे साथ थाना मरदह में कार्यरत थे। मेरी जानकारी के अनुसार उनका स्वस्थ्य ठीक नहीं है तथा वे न्यायालय आने में सक्षम नहीं हैं तथा मरदह थाने के पैरोकार द्वारा भी लिखित तौर पर यह बताया गया कि महादेव सिंह का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठी नहीं है। मैं महादेव सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली-भांती परिचित हूँ। नजरी-नक्शा शामिल पत्रावली कागज सं. 5-अ, उप निरीक्षक महादेव सिंह तत्कालीन थाना मरदह, जनपद गाजीपुर के लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। मैं, साक्षी शामिल पत्रावली कागंज सं. 5-अ के लेख व उस पर बने उप निरीक्षक महादेव सिंह के हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया है।

छायाप्रति जीडी रपट नं. 37 समय लगभग 22.40 दिनांक 29.01.2013, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर शामिल पत्रावली कांगज सं. 14-अ/3 तत्कालीन उप निरीक्षक महादेव सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसको मैं, साक्षी तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-11 अंकित किया गया है।

आरोप पत्र सं. 10/2013, दिनांक 27.03.2013, मु.अ.सं. 49/2013 अन्तर्गत धारा 308, 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना मरदह, जनपद गाजीपुर तत्कालीन उप निरीक्षक महादेव सिंह द्वारा समक्ष न्यायालय प्रेषित किया गया है। मैं, साक्षी आरोप पत्र

शामिल पत्रावली कागज सं. 3-अ उप निरीक्षक महादेव सिंह के लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। इस पर बने उप निरीक्षक महादेव सिंह के लेख व इस पर बने उनके हस्ताक्षर को पहचान कर तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-12 अंकित किया गया है। विवेचक मेरा बयान लिया था।

प्रति परीक्षा

प्रदर्श क-8 एनसीआर में वर्णित मुल्जिमान कौशलेश पाण्डेय, जवाहर पाण्डेय एवं धनुषधारी पाण्डेय के नाम के पहले अंग्रेजी मे ए (A) शब्द लिखा गया है, किस उद्देश्य से लिखा गया मुझे याद नहीं है। चोटों का इन्द्राज मैंने जीडी दिनांक 13.11.2012, प्रदर्श क-9 में अपने हस्ताक्षर में अंकित किया हूँ। मूल जीडी दिनांक 13.11.2012 मेरे सामने पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मूल जीडी वीनिष्ठ हो गई है या नहीं। मुझे न्यायालय से मूल जीडी लाने का कोई निर्देश नहीं गया था। एनसीआर लिखते समय मजरुब मेरे सामने उपस्थित थे। कोई मजरुब बेहोश था या नहीं मुझे याद नहीं है। मैंने घायलों के डॉक्टरी मुआयना के लिए चिट्ठी तैयार की गयी थी। मैंने एनसीआर धारा 323, 504, 506, प्रदर्श क-8 में इन्द्रास एसओ साहब के कहने पर किया हूँ। मूल एनसीआर नं. 263/2012 पत्रावली मौजूद नहीं है। एनसीआर प्रदर्श क-8 पर वादिनी मुकदमा बसन्ती प्रजापति का हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। इस मुकदमें की विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान नहीं लिया था। इस मुकदमे के घायलान अस्पताल में भर्ती थे कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है।

मुकदमे के विवेचक श्री महादेव सिंह वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। विवेचक श्री महादेव सिंह अभी तक जीवित हैं। विवेचना के दौरान मैं उनके साथ किसी भी साक्षी का बयान अथवा साक्ष्य संकलन में उनके साथ नहीं गया था। विवेचना में उन्होंने क्या लिखा मैं नहीं जानता हूँ केवल उनके हस्तलेख को पहचानता हूँ। मुझे याद नहीं है कि विवेचक के साथ मरदह थाने में कितने समय तक काम किया हूँ। विवेचक के साथ काम करने का कोई प्रमाण पत्र आज मैं अपने साथ नहीं लाया हूँ। ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लाने का कारण नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारा हस्ताक्षर करते हुए देखें है, लेकिन मुझे याद नहीं की कितने हस्ताक्षर देखे है।

यह कहना गलत है कि मैंने महादेव सिंह के साथ काम न किया हो और उन्हें लिखते पढ़ते न देखा हो। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।

सुनकर तस्दीक किया। **मेरे बोलने पर स्टेनों द्वारा टाईप किया गया**

अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-01,
गाजीपुर